राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म 199/2023 महात्मा ज्योतिबा फुले बनाम गिरधारी सिंह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

/11/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की आंशिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली निरन्तर बहस हेतु दिनांक 26/11/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

26/11/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

01/12/25

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़ घोषणा खातेदारी दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10/02/2023 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री करते हुए विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 75/932 रकबा 0.12, 76 रकबा 0.31, 258 रकबा 0.08, 319 रकबा 1.20, 320 रकबा 0.45, 818/934 रकबा 0.09, 819/933 रकबा 0.14, 823 रकबा 0.07, 824 रकबा 0.02, 825 रकबा 1.33 कुल किता-10 रकबा 3.81 हैक्टेयर के 1/4 हिस्सा, हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 2.19 हैक्टेयर, 40 रकबा 1.69 हैक्टेयर, 41 रकबा 1.65 हैक्टेयर, 42 रकबा 1.16 हैक्टेयर, 43 रकबा 1.29 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 7.98 हैक्टेयर दर्ज हिस्सा 1/7 व खसरा नम्बर 738 रकबा 0.01 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 326 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.33 हैक्टेयर में दर्ज 1/4 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 739 रकबा 0.28 हैक्टेयर में दर्ज 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बाड़ीजोड़ी तहसील शाहपुरा से प्रतिवादी संख्या 1 राम सिंह पुत्र चन्दर सिंह का नाम ह्जफ़ कर उसके स्थान पर वादी गिरधारी सिंह पुत्र जय सिंह जाति राजपूत निवासी हवेली मु.पो.खोजास तहसील डीडवाना जिला नागौर को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

महात्मा ज्योतिबा फुले बनाम गिरधारी सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्य/आपत्तियां न्यायोचित्त प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की समुचित तामील करवाये बगैर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में प्रक्रियांत्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है, जिससे अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष एवं पैरवी करने से महरूम रहे है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्येक पक्षकार की समुचित तामील करवा कर उन्हें सुना जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायोचित्त प्रतीत नही होते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10/02/2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर •

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर